यौन उत्पीड़न कानून

यौन उत्पीड़न होता है...

- सीटी बजाना।
- घूरते रहना।
- अनचाहा चुम्बन, गले लगाना या छूना (दूसरे व्यक्ति के शरीर से छू कर गुज़रना)।
- किसी की प्राइवेसी और निजी दायरे में घुसपैठ करना, औरत को असहज व परेशान करना (जैसे, उसके बहुत नज़दीक खड़े हो जाना या उसकी गर्दन पर सांसे छोड़ना)।
- भद्दी फब्तियां कसना या किसी के पहनावे अथवा यौनिकता पर टिप्पणियां करना, अश्लील टेलीफोन कॉल या अश्लील संदेश भेजना (ई-मेल, पत्र, एसएमएस या एमएमएस आदि।
- अश्लील तोहफे देना।
- पीछा करना (किसी पर लगातार नज़र रखना या उसके पीछे चलते जाना)।
- किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील फ़िल्में, तस्वीरें दिखाना अथवा कविताएं, कहानियां आदि सुनाना।
- किसी को अपमानजनक तस्वीरें दिखाना, लतीफे सुनाना और कार्टून दिखाना जिसमें प्रायः महिलाओं को लज्जित किया जाता है।
- यौन सेवाओं के लिए फुसलाना, रिझाना या मजबूर करना।

लड़कियों के लिए नुस्ख़े/सलाह

- उत्पीड़न को पहचानना सीखें। अगर किसी चीज़/व्यवहार से आपको शर्मिंदगी या अपमान महसूस होता है तो वह आपका उत्पीड़न है। सवाल इस बात का नहीं है कि दूसरे व्यक्ति का इरादा क्या था। अहम बात यह

चित्र: प्रिया कुरियन

है कि उसकी हरकतों से आपको कैसा महसूस होता है। अगर आपको उत्पीड़न का अहसास हो रहा तो आपको विरोध करने का हक़ है।

- ज़ोर से और साफ-साफ 'नहीं' कहें। ऐसी स्थितियों के लिए कोई जुमला तैयार रखिए (जैसे, ये क्या हरकत है- बदतमीज़ी मत करो!) जब तक आप इस बात को स्वाभाविक रूप से कहने की आदतें न डाल लें तब तक इसकी अलग से प्रैक्टिस करती रहें।
- आत्मविश्वास पैदा कीजिए। जिनसे आपको किसी भी तरह का खतरा दिखाई देता है उनकी आंखों में आंखें डालकर देखिए और बोलना पड़े तो साफ और स्पष्ट जवाब दीजिए। यह बात जता दीजिए की आप अपनी स्थिति के बारे में पूरी तरह से सचेत हैं और आपको इस जगह होने का पूरा अधिकार है।
- दोस्त बनाइए। अलग-थलग पड़ने पर खतरा बढ़ जाता है। अगर आप मदद मांगें तो आमतौर पर लोग मदद के लिए आगे आ जाते हैं। इसी तरह अगर आपके सामने किसी का उत्पीड़न हो रहा है तो उसे रोकने के लिए भी तैयार रहिए।

- अगर उत्पीड़न जारी रहता है तो उस घटना के बारे में संबंधित लोगों को जानकारी दें और उचित कार्यवाही के लिए शिकायत दर्ज कराएं। यौन उत्पीड़न एक अपराध है इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। इसे प्रशासन की जानकारी में लाना और नियमों के गंभीर उल्लंघन के रूप में देखना बहुत ज़रूरी है।

6. ऐसे लड़कों का सम्मान कीजिए जो आपको सम्मान देते हैं। हर लड़का उत्पीड़क नहीं होता। केवल पृष्ठभूमि या पहनावे या भाषा के आधार पर लड़कों दुत्कारते रहना या उनसे बचना इस बात का संकेत है कि आप खुद पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। इस तरह का व्यवहार उन लड़कों की तरफ से जवाबी कार्यवाही की वजह भी बन सकता है जिन्हें आप नापसंद करती हैं।

ऐसा न करें...

1. अपनी कमज़ोरी का प्रचार न करें। किसी सार्वजनिक स्थान पर नर्वस दिखाई न दें, सिर झुकाकर न चलें और अगर कोई आप से वाजिब सवाल पूछता है तो उसका जवाब ज़रूर दें।
2. मदद मांगने में न हिचकिचाएं। ज़्यादातर उत्पीड़कों की हिम्मत तोड़ने के लिए इतना ही काफ़ी रहता है कि आप मदद के लिए ज़ोर से आवाज़ लगाएं। बल्कि अगर आप मदद न मांगें तो कई बार लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि आपको मदद की ज़रूरत है।

सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न कानून
(गैर-संज्ञेय, जमानतीय/जमानत योग्य)

आईपीसी की धारा 294 : अश्लील हरकतें और गाने

अगर कोई व्यक्ति औरों को परेशान करने के लिए –
- सार्वजनिक स्थान पर कोई **अश्लील हरकत** करता है, या
- सार्वजनिक स्थान पर अथवा उसके आसपास **अश्लील गीत, गाने या शब्द गाता या बोलता** है तो उसे **कैद** की सज़ा दी जा सकती है। यह सज़ा **तीन महीने** की हो सकती है या उससे **जुर्माना** वसूल किया जा सकता है या दोनों सज़ाएं दी जा सकती है।

आईपीसी की धारा 354 : महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाना

यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए या यह जानते हुए **महिला पर हमला** करता है या **बल प्रयोग** करता है कि इससे उसके **सम्मान को ठेस पहुंचेगी** तो उसे **दो साल** तक की कैद या **जुर्माना** या **दोनों सज़ाएं** दी जा सकती हैं।

आईपीसी की धारा 509 : किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले शब्द, भंगिमाएं या हरकतें

यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए और उसे सुनाते हुए कोई **शब्द** कहता है, या किसी तरह की **आवाज़ें** निकालता है या **भंगिमाएं** बनाता है या कोई **वस्तु दिखाता** है या महिला की **प्राइवेसी का अतिक्रमण** करता है तो उसे अधिकतम **एक साल की साधारण कैद** या **जुर्माना** या **दोनों सज़ाएं** दी जा सकती हैं।